बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–

एस0 ओ0–   दिनांक–   न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची–1(ब)के स्तंभ–2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्त्तनशील महंगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं । अनुसूची –1(ब) के स्तंभ –02 में उल्लिखित नियोजनो में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची–1(अ) के स्तंभ–01 के प्रदर्शित मासो के हेतु उक्त अधिनियम की धारा–2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ–04 मे यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची–1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016–100)	आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960–100)
जुलाई, 24	142.7	4.63 X4.93 X2.88	9380.89
अगस्त, 24	142.6	4.63 X4.93 X2.88	9374.32
सितम्बर, 24	143.3	4.63 X4.93 X2.88	9420.34
अक्टूबर, 24	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
नवम्बर, 24	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
दिसम्बर, 24	143.7	4.63 X4.93 X2.88	9446.63
योग :–56620.62			

वर्ष 2024 के द्वितीय जुलाई, से दिसम्बर, 2024 का औसत– 56620.62÷6 = **9436.77**

अनुसूची–1 (ब)

क्र0 सं0	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक–01.10.2024 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	77 नियोजन– (69 सामान्य कार्य ,विक्रय प्रोत्साहन नियोजन, घरेलु कामगार का नियोजन,चार नियोजन, सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मी एवं चीनी उद्योग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कामगार)	**अधिसूचना** **संख्या**–(03,04),(01,02)(07,08),(09,10), दिनांक–30.09.2024 गजट सं0–1102,1103,1100,1104 दिनांक–21.11.2024	**77– अनुसूचित नियोजन**

(1) कॉ–ऑपरेटिव सेक्टर (2) अलुमिनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री–स्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्बेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगेरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फलोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोडकर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सडको के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अवरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी

विश्वविधालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रैक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) ऑटोमोवाईल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्ठे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग (70) विक्रय प्रोत्साहन नियोजन (71)घरेलु नियोजन (72) पापड़ उद्योग, (73.) नाविक के नियोजन, (74.) अगरबत्ती उद्योग, (75.) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीनप्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर) (76) सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मी (77) चीनी उद्योग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कामगार।

अनुसूची –II

क्र0 सं0	कामागारों की कोटि	दिनांक–01.09.2022+01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+01.04.2024+01.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक–01.04.2025 से प्रभावी होगी	01.04.2025 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00	12.00	424.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	380.00+8.00+15.00+8.00 15.00+2.00=428.00	12.00	440.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00	332.00	12112.00 प्रतिमाह

नोटः–घरेलु नियोजनों में एक घंटा कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर प्रतिदिन की अधिसूचित दर में आठ (8) से भाग देकर प्राप्त किया जायेगा। इसी प्रकार मासिक दर की गणना दैनिक दर में 26 से गुणा कर प्राप्त किया जायेगा।

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ–4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की

गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। अ परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जुलाई–दिसम्बर, 2024** के औसत के आधार पर **01 अप्रैल, 2025** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

टिप्पणी:– (क) न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों का दैनिक मजदूरी की दरों मे परिवर्तन 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा।

(ख) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(ग) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि (Overtime) कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम–25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(घ) पुरूष तथा स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(संख्या–5/एम0डब्लू0–40–16/2021 श्र0सं0–1659)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

पटना, दिनांक–

एस0ओ0 दिनांक– का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या–5/एम0डब्लू0–40–16/2021 श्र0सं0–1660)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2024	142.7	4.63 X4.93 X2.88	9380.89
August, 2024	142.6	4.63 X4.93 X2.88	9374.32
September, 2024	143.3	4.63 X4.93 X2.88	9420.34
October, 2024	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
November, 2024	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
December, 2024	143.7	4.63 X4.93 X2.88	9446.63
Total			**56620.62**
Second Half Yearly Average of the year July to December,2024 56620.62÷6 = **9436.77**			

SCHEDULE-I(B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.10.2024	Total
1	2	3	4
1	77 Employment – General Work, Sales promotion,Domestic Workers, Four Employments, Workers employed through outsourcing in government offices and workers employed through outsourcing in sugar industry)	Notification No- –,(03,04),(01,02)(07,08),(09,10) Dated- 30.09.2024 Gazette No.- 1102,1103,1100,1104 Dated- 21.11.2024	77 Scheduled Employment

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electro casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries

(Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology (70)Sales promotion employees (71) Domestic Workers (72) Papad Industry (73) Sailars employment (74) Agarbati Industry(75) Employment of Safaies Karamchairs (Excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993) (76) Workers employed through outsourcing in government offices (77) Workers employed through outsourcing in sugar industry.

<u>**SCHEDULE -II**</u>

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+01 .10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date-01.04.2025 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2025 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00	12.00	424.00 Perday
2.	Semi skilled	380.00+8.00+15.00+8.00 15.00+2.00=428.00	12.00	440.00 Perday
3.	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+ 19.00+2.00=521.00	15.00	536.00 Perday
4.	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+ 23.00+2.00=636.00	18.00	654.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	10478.00+210.00+419.00+ 210.00+419.00+44.00=11780	332.00	12112.00 Per Month

Note:- **The Minimum wage rate for one hour in domestic employement will be obtained by dividing the daily notified rates by 8. Similarly the monthly rate will be calculated by multiplying the daily rate by 26.**

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column - 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of <u>**July - December, 2024**</u> will be payable at the aforesaid rates from <u>**1st April, 2025**</u> and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

Note:- (a) The conversion of monthly minimum wages into daily rates shall be obtained by dividing it by 26 and the conversion of daily wage rates into monthly wage rates shall be obtained by multiplying it by 26.

(b) The above proposed rates of minimum wages include remuneration to workers for the day of rest in a period of seven days.

(c) For overtime work on the weekly rest day or on any other day, a workers shall be entitled to be paid twice the wages for overtime work at the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum wages Rules, 1951.

(d) Male and female workers shall be receive the same rate of wages for the same work or similar type of work.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R- 1659)
By the order of the Governor of Bihar,

(Rajeev Ranjan)
Joint Secretary.

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–16/2021 श्र०सं०– 1660 पटना, दिनांक– 28/3/25
प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक मे प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–16/2021 श्र०सं०– 1660 पटना, दिनांक– 28/3/25
प्रतिलिपि– निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम ब्यूरों, शिमला एव चंडीगढ/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–16/2021 श्र०सं०– 1660 पटना, दिनांक– 28/3/25
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना–01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण

विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने–अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–16/2021 श्र०सं०– 1660 पटना, दिनांक– 23/3/25

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।